

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक “छत्तीसगढ़/दुर्ग/ सी. ओ./रायपुर/17/2002.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

( असाधारण )  
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 223]

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 22 सितम्बर 2005 – भाद्र 31, शक 1927

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग  
जी. ई. रोड, सिविल लाईन, रायपुर

रायपुर, 13 सितम्बर 2005

क्रमांक 7/सी.एस.ई.आर.सी/2005, विद्युत अधिनियम 2003 (वर्ष 2003 का क.36) धारा 47 (1) सहपठित धारा 181(2)(अ), धारा 47(4) सहपठित धारा 181 (2) (w) धारा 47(2), 47(3) तथा 47(5) सहपठित धारा 181 (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, एतद् द्वारा, राज्य के विद्युत उपभोक्ताओं द्वारा अनुज्ञप्तिधारी को जमा किए जाने वाले सुरक्षा निधि सम्बन्धी निम्नलिखित विनियम बनाता है;

## 1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ :

- 1.1 ये विनियम छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (सुरक्षा निधि) विनियम,2005 कहलायेंगे।
- 1.2 ये विनियम छत्तीसगढ़ राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- 1.3 इन विनियमों का विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा।

## 2. परिभाषायें :

- 2.1 इन विनियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,
  - (1) 'अधिनियम' से तात्पर्य विद्युत अधिनियम, 2003 (वर्ष 2003 का क्रमांक 36) होगा।
  - (2) 'आयोग' से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग।
  - (3) 'उपभोग शुल्कों' से अभिप्रेत है, किलो वाट प्रति घण्टे की दर से उपभोग की गई विद्युत ऊर्जा का समुचित विद्युत दर से किया गया गुणनफल और इसमें मांग/स्थिर प्रभार, ईंधन लागत समायोजन प्रभार एवं कोई अन्य प्रभार आदि जैसे लागू हों, भी शामिल है।
  - (4) 'उच्च दाब उपभोक्ता' से अभिप्रेत है, उपभोक्ता, जिसे 440 वोल्ट से अधिक वोल्टेज पर विद्युत का प्रदाय किया जाए।
  - (5) 'अनुज्ञप्तिधारी' से अभिप्रेत है, वितरण अनुज्ञप्तिधारी।
  - (6) 'निम्न' दाब उपभोक्ता से अभिप्रेत है, उपभोक्ता, जिसे 440 वोल्ट तक की वोल्टेज पर विद्युत का प्रदाय किया जाए।
  - (7) 'माह' से अभिप्रेत है, केलेण्डर माह।
  - (8) 'राज्य' से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य।
- 2.2 इन विनियमों में प्रयुक्त, लेकिन अपरिभाषित शब्दों एवं अभिव्यक्तियों का, वही अर्थ होगा जो अधिनियम में अभिप्रेत है।

## 3. सुरक्षानिधि

- 3.1 कोई अनुज्ञप्तिधारी, कनेक्शन तथा ऊर्जा प्रदाय हेतु उपलब्ध कराये गये मीटर, लाईन एवं संयंत्र के मद में सभी उपभोक्ताओं से सुरक्षानिधि प्राप्त कर सकेगा।
- 3.2 सुरक्षानिधि केवल नगद या बैंक ड्राफ्ट के रूप में ही स्वीकार की जाएगी। चेक केवल इस शर्त के अधीन स्वीकार किये जा सकेंगे कि विद्युत प्रदाय, चेक राशि का भुगतान प्राप्त होने पर ही किया जाएगा।

## 4. नये विद्युत प्रदाय हेतु लगाये गये संयंत्र/लाईन हेतु सुरक्षानिधि

उपभोक्ताओं को विद्युत प्रदाय करने हेतु जहाँ कोई विद्युत लाईन या विद्युत संयंत्र, उपलब्ध कराया जाए, वहाँ अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ताओं से ऐसी लाईन या संयंत्र के लिए सुरक्षा निधि वसूल कर सकेगा।

## 5. मीटर सुरक्षा निधि (एम.एस.डी)

5.1 अनुज्ञप्तिधारी, मीटर सुरक्षा निधि वसूल करेगा । नये कनेक्शन के संदर्भ में, विद्युत प्रदाय की स्वीकृति की सूचना प्राप्त होने के प्रश्नात् तथा सर्विस कनेक्शन उपलब्ध कराने के पूर्व मीटर/मीटरिंग उपकरण के लिए, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा समय-समय पर आयोग के अनुमोदन से निर्धारित दरों की अनुसूची के अनुसार, मीटर सुरक्षा निधि देय होगी ।

यदि नये कनेक्शन का आवेदक, ऐसी सुरक्षा निधि देने में असफल हो, तो अनुज्ञप्तिधारी, यदि वह उचित समझे, ऐसी असफलता जारी रहने की अवधि के दौरान, विद्युत प्रदाय प्रारंभ करने से इन्कार कर सकेगा ।

5.2 चालू कनेक्शन के लिए, जहाँ पूर्व में मीटर सुरक्षा निधि प्राप्त न की गई हो, जब कभी मीटर बदला जावे, अनुज्ञप्तिधारी उपरोक्तानुसार निर्धारित दर पर मीटर सुरक्षा निधि प्राप्त कर सकेगा ।

5.3 जहाँ मीटर सुरक्षा निधि पूर्व में ही जमा करा ली गई हो, वहां मीटर के कार्य करने लायक न होने, मीटर के त्रुटिपूर्ण होने, उच्च तकनीकी, आदि कारणों से मीटर बदले जाने की दशा में, मीटर की लागत में अंतर की राशि, बाद में जमा नहीं कराई जा सकेगी ।

5.4 ऐसे उपभोक्ता द्वारा, जो अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विनिर्दिष्ट मीटर की व्यवस्था अपनी लागत पर करता है, मीटर सुरक्षा निधि देय नहीं होगी ।

## 6 ऊर्जा सुरक्षा निधि (ई.एस.डी):

6.1 अनुज्ञप्तिधारी, नये कनेक्शन के लिए ऊर्जा सुरक्षा निधि ले सकेगा जिसकी गणना, विद्युत प्रदाय अनुबन्ध के अनुसार किलोवाट/हार्सपावर या के.बी.ए. में संबद्ध भार/संविदा मांग के आधार पर निम्नलिखित रीति में की जायेगी ।

क्रमांक	श्रेणी	सुरक्षा निधि की परिगणना के लिए यूनिट प्रति माह, दौरान, (30 दिन) के लिए आंकलित उपभोग
1	घरेलू	(1) 140 यूनिट प्रति किलोवाॅट (2) 35 यूनिट प्रति 250 वाॅट या उसका कोई भाग ।
2	एकल बत्ती कनेक्शन	20 यूनिट प्रति कनेक्शन
3	गैर घरेलू	(1) 140 यूनिट प्रति किलो वाॅट (2) 35 यूनिट प्रति 250 वाट या उसका भाग
4.	जल संयंत्र (वाटर वर्क्स)	(1) 150 यूनिट/किलो वाॅट, या (2) 110 यूनिट/हार्स पावर
5	औद्योगिक	70 यूनिट/किलो वाट या 50 यूनिट/हार्स पावर

6	कृषि	120 यूनिट / हार्स पावर
7	श्रेणर कनेक्शन	360 यूनिट / हार्स पावर
8	स्ट्रीट लाईट	180 यूनिट / किलो वाट
9	उच्च दाब उपभोक्ता	420 यूनिट / किलो वाट या 380 यूनिट / के.वी.ए

- 6.2 सुरक्षा निधि का आकलन कंडिका 6.1 के अनुसार विद्युत उपभोग के आधार पर होगा एवं निधि की राशि निम्न तालिका में विनिर्दिष्ट दिनों के बराबर विद्युत उपभोग के लिए होगी। निधि का निर्धारण प्रचलित विद्युत टैरिफ एवं अन्य सभी प्रभारों को लगा कर किया जावेगा।

क्रमांक	उपभोक्ताओं की प्रकृति	दिनों की संख्या
1	कृषि (1) स्थाई (2) अस्थायी	90 अस्थायी कनेक्शन की संपूर्ण अवधि के लिए।
2	मौसमी	वार्षिक उपभोग का 25 प्रतिशत।
3	स्टोन क्रशर, हॉट मिक्स प्लांट	90
4	ऐसे उपभोक्ता जो परिसर पर अपने विधिक आधिपत्य का सबूत उपलब्ध कराने में असमर्थ हों।	90
5	अन्य उपभोक्ता	45

उपरोक्तानुसार परिगणित सुरक्षा निधि को अगले 10 रूपयों तक पुर्णकित किया जाएगा।

- 6.3 यदि नए कनेक्शन का आवेदक ऐसी सुरक्षा निधि देने में असफल हो तो अनुज्ञप्तिधारी, यदि वह उचित समझे ऐसी असफलता जारी रहने की अवधि के दौरान, विद्युत प्रदाय प्रारंभ करने से इंकार कर सकेगा।
- 6.4 अनुज्ञप्तिधारी ऊर्जा सुरक्षा निधि प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा यदि, वह व्यक्ति जिसे विद्युत प्रदाय की आवश्यकता हो, अग्रिम भुगतान वाले मीटर के माध्यम से ऊर्जा लेने हेतु सहमत है।

## 7 विद्युत ऊर्जा के लिए अतिरिक्त सुरक्षा निधि

- 7.1 निम्न दाब उपभोक्ताओं के लिए, उनसे प्राप्त होने वाली ऊर्जा सुरक्षा निधि की राशि, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रति वर्ष अप्रैल माह में पिछले बारह माह के उपभोग के आधार पर पुनर्निर्धारित की जाएगी। उच्च दाब उपभोक्ताओं के लिए ऊर्जा सुरक्षा निधि का अर्धवार्षिक पुनर्निर्धारण प्रति वर्ष अक्टूबर तथा अप्रैल माह में, पिछले छः माह के उपभोग के आधार पर किया जाएगा। इस पुनर्निर्धारण के आधार पर, अपेक्षित सुरक्षानिधि और विद्युत दर (टैरिफ) आदि पर आधारित अनुज्ञप्तिधारी द्वारा रखी गई सुरक्षा निधि में यदि

100 रूपये या उससे अधिक का अंतर हो तो अनुज्ञप्तिधारी, उपभोक्ता को अतिरिक्त सुरक्षा निधि जमा करने हेतु मांग पत्र दे सकेगा, ताकि ऊर्जा सुरक्षा निधि को इन विनियमों के खण्ड 6.1 तथा 6.2 की सारणियों में दर्शाये गये ऊर्जा सुरक्षा निधि राशि के अवधि/उपभोग के स्तर तक बनाये रखा जा सके ।

- 7.2 अनुज्ञप्तिधारी, अतिरिक्त सुरक्षा निधि के लिए नोटिस जारी करेगा तथा उसे जमा कराने हेतु एक माह का समय देगा । यदि उपभोक्ता, नोटिस के अनुसार अतिरिक्त सुरक्षा निधि जमा करने में असफल रहे, तब अनुज्ञप्तिधारी, उस समय तक, जब तक कि ऐसी असफलता जारी रहे, विद्युत प्रदाय करने से मना करने या उसे बंद करने का हकदार होगा । इन विनियमों के अनुसार अनुज्ञप्तिधारी के विद्युत प्रदाय बंद करने के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि उपभोक्ता सुरक्षा निधि के भुगतान में विलम्ब करता है, तो वह ऐसा अधिभार पटाने हेतु उत्तरदायी होगा जो कि टैरिफ आदेश में उल्लेखित उस अधिभार के बराबर हो जो ऊर्जा मांग प्रभार के विलंबित संदाय पर देय होता है ।
- 7.3 वे उपभोक्ता, जिन्होंने 45 दिन के उपभोग के बराबर या उससे अधिक सुरक्षा निधि जमा की हो, एक वित्तीय वर्ष में 3 से अधिक बार मासिक देयकों के भुगतान में चूक करते हैं, तो उस दशा में, अनुज्ञप्तिधारी उनकी सुरक्षा निधि 100 प्रतिशत तक बढ़ाने का हकदार होगा ।
- 7.4 उन उपभोक्ताओं के मामले में जिन्हें अतिरिक्त भार स्वीकृत किया गया हो, अतिरिक्त सुरक्षा निधि की परिगणना अतिरिक्त भार के लिए उसी प्रकार की जाएगी जैसे कि वह नई सेवा हो । इसी प्रकार यदि संविदा मांग कम हो जाती है, तो अनुज्ञप्तिधारी सुरक्षा निधि की पुनः परिगणना कर सकेगा और सुरक्षा निधि से आधिक्य की राशि, उस माह, जिसमें संविदा मांग में कमी को अंतिम रूप दिया गया हो, के अगले माह से तीन समान किशतों में आगामी विद्युत देयकों में समायोजित कर सकेगा ।
- 7.5 उपभोक्ता की प्रार्थना पर, अनुज्ञप्तिधारी, उपभोक्ता को तीन मासिक किशतों में अतिरिक्त सुरक्षा निधि जमा करने की अनुमति दे सकेगा ।

## **8. सुरक्षा निधि पर ब्याज**

- 8.1 सुरक्षा निधि पर अनुज्ञप्तिधारी वर्तमान बैंक दर से ब्याज देगा । अनुज्ञप्तिधारी का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह ब्याज दर की जानकारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से प्राप्त करे और इसकी जानकारी उपभोक्ताओं को देयक से तंत्र दें । उपरोक्तानुसार ब्याज के भुगतान का दायित्व 01 अप्रैल 2005 से प्रभावशील होगा ।
- 8.2 ब्याज की राशि वर्ष में दो बार सितम्बर तथा मार्च माह के अंत में परिगणित की जाएगी । ब्याज की राशि मासिक देयक में समायोजित की जायेगी ।
- 8.3 सुरक्षा निधि पर ब्याज के भुगतान में विलंब की दशा में अनुज्ञप्तिधारी ब्याज की राशि पर एक प्रतिशत प्रतिमाह की दर से प्रत्येक माह या उसके किसी भाग पर, विलंबित अवधि के लिए साधारण ब्याज देने हेतु उत्तरदायी होगा । इसके अतिरिक्त वह ऐसी शक्तियाँ जैसे कि उस पर समुचित प्राधिकारी द्वारा ऐसे विलंब के लिए अधिरोपित की जाए देने हेतु उत्तरदायी होगा ।

8.4 अनुज्ञापिधारी द्वारा सुरक्षा निधि पर ब्याज के समायोजन में विलंब यदि तीन माह से अधिक का हो तो उपभोक्ता संबंधित फोरम, जो कि अधिनियम की धरा 42 की उप धारा 6 के अधीन गठित की जाये, में शिकायत दर्ज करा सकेगा ।

9. सुरक्षा निधि की वापसी :-

सुरक्षा निधि, अनुबंध की समाप्ति पर तथा समस्त बकायों के समायोजन के उपरांत समस्त औपचारिकताओं के पूर्ण होने के साठ दिनों के भीतर उपभोक्ता को वापस की दी जायेगी । साठ दिनों के अवधि के बाद विलंब की दशा में एक प्रतिशत प्रतिमाह या उसके किसी भाग पर ब्याज उपभोक्ता को देय होगा ।

10. संशोधन की शक्ति

आयोग किसी भी समय इन विनियमों के प्रावधानों को बढ़ा या घटा सकेगा या परिवर्तित, उपांतरित या संशोधित कर सकेगा ।

11. व्यावृति (बचाव)

11.1 इन विनियमों के प्रावधान आयोग के न्याय के हित में आवश्यक समझे जाने वाले तथा आयोग की प्रक्रिया का दुरुपयोग रोकने हेतु यथोचित आदेश करने की अंतर्निहित शक्ति को सीमित या अन्यथा प्रभावित करने वाले नहीं समझे जायेंगे ।

11.2 इन विनियमों के कोई प्रावधान आयोग को अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप कोई ऐसी प्रक्रिया, जो इन विनियमों के किन्हीं प्रावधानों के विसंगत हो, अपनाने से रोकने वाले नहीं समझे जायेंगे यदि आयोग किसी विषय या विषयों के वर्ग की विशेष परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए और ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किए जायें इसे आवश्यक एवं उस विषय या विषयों के वर्ग के संबंध में त्वरित कार्य करने हेतु समुचित समझें ।

11.3 इन विनियमों की कोई बात प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आयोग को किसी विषय के संबंध में कार्यवाही करने या अधिनियम के अधीन किसी शक्ति का प्रयोग करने से, जिसके लिए विनियम नहीं बनाए गए हैं, रोकने वाली नहीं समझी जाएगी और आयोग ऐसे विषयों के संबंध में कार्यवाही तथा शक्तियों और कृत्यों का ऐसी रीति से प्रयोग जैसा वह उचित समझे, कर सकेगा ।

नोट: इन विनियमों के हिंदी संस्करण के प्रावधानों की व्याख्या में या उसे समझने में इसके अंग्रेजी संस्करण (मूल संस्करण) से किसी प्रकार की भिन्नता पायी जाती है तो अंग्रेजी संस्करण को सही माना जायेगा और इस संबंध में विवाद की दशा में आयोग का निर्णय अंतिम और बंधनकारी होगा ।

आयोग के आदेशानुसार

(अजय श्रीवास्तव)  
उप सचिव